रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042022-234815
CG-DL-E-04042022-234815

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 4, 2022/चैत्र 14, 1944
No. 244] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 4, 2022/CHAITRA 14, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 256(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 89क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (छठा संशोधन), नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 (जिसे इसके पश्चात मूल नियम के रूप में निर्दिष्ट) में, नियम 21कक के पश्चात निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"21ककक. अधिसूचित देश में बनाए गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय का कराधान - (1) जहां एक विनिर्दिष्ट व्यक्ति 1 अप्रैल 2022, को या उसके पश्चात आरंभ होने वाले किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए सुसंगत पिछले वर्ष के दौरान

एक विनिर्दिष्ट खाते या खातों में आय अर्जित की है, ऐसी आय विनिर्दिष्ट व्यक्ति के विकल्प पर उस निर्धारण वर्ष से संबंधित सुसंगत पूर्व वर्ष की उसकी कुल आय में सम्मिलित की जाएगी,यथास्थिति, अधिसूचित देश जिसमें उक्त विनिर्दिष्ट खाते या खाते से आय पर निकासी या उन्मोचन के समय कर लगाया जाता है।

(2) जहां उप-नियम (1) के अधीन एक विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा विकल्प का प्रयोग किया गया है, पूर्व वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आय जिसमें उप-नियम (1) के अधीन कर योग्य आय सम्मिलित नहीं होगी,—

(क) पूर्व किसी भी वर्षों में ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आय में पहले से ही सम्मिलित किया गया है जिसके दौरान ऐसी आय अर्जित की गई है और उस पर कर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भुगतान किया गया है; या

(ख) निम्नलिखित कारणों के मद्धे पूर्ववर्ष के दौरान उपगत आय भारत में कराधेय नहीं थी,—

(i) पूर्व वर्ष के दौरान धारा 6 के खंड (6) में निर्दिष्ट ऐसा विनिर्दिष्ट व्यक्ति, अनिवासी है या सामान्य रूप से निवासी नहीं है; या

(ii) दोहरे कराधान से बचाव समझौते का आवेदन, यदि कोई हो,

और ऐसी आय पर भुगतान किया गया विदेशी कर, यदि कोई हो, नियम 128 के अधीन विदेशी कर क्रेडिट की गणना के प्रयोजनों के लिए ध्यान नहीं दिया जाएगा।

(3) विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा बनाए गए सभी विनिर्दिष्ट खातों के संबंध में उप-नियम (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

(4) ऐसे मामले में जहां विनिर्दिष्ट व्यक्ति किसी सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान अनिवासी बन जाता है, तो-

(i) उप-नियम (1) के अधीन प्रयोग किए गए विकल्प को सुसंगत पूर्व वर्ष से कभी भी प्रयोग नहीं किया गया माना जाएगा; और

(ii) ऐसी आय, जिसे पिछले वर्ष से आरंभ होने वाली अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट खाते या खातों में अर्जित किया गया है जिसके संबंध में उप-नियम (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया था और सुसंगत पूर्व वर्ष से तुरंत पहले पूर्व वर्ष के साथ समाप्त हुआ था, सुसंगत पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष के दौरान कर योग्य होगा और सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख को या उससे पहले कर का भुगतान किया जाएगा।

(5) 1 अप्रैल, 2022 के दिन या उसके पश्चात शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष से संबंधित किसी भी पूर्व वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा उप-नियम (1) के अधीन प्रयोग किए जाने का विकल्प प्ररूप संख्या 10-ङ ङ में होगा और यह आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सम्यक तारीख या उससे पहले डिजिटल हस्ताक्षर या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) उप-नियम (4) के उपबंधों के अध्याधीन, प्ररूप संख्या 10-ङङ में उप-नियम (1) के अधीन पूर्व वर्ष के बाबत् एक विनिर्दिष्ट खाते या खातों के लिए एक बार प्रयोग किया गया विकल्प सभी पश्चातवर्ती पूर्व वर्षों पर लागू होगा और जिस पश्चातवर्ती पूववर्ष के लिए विकल्प प्रयोग किया गया है, उस पूववर्ष और उसके पश्चात् पूववर्ष के लिए वापस नहीं लिया जाएगा।

(7) यथास्थिति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) डाटा के सुरक्षित अभिग्रहण और पारेषण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं, प्रारूपों और मानकों को विनिर्दिष्ट करेगा और प्ररूप संख्या 10-ङ ङ के संबंध में उपयुक्त सुरक्षा, अभिलेखीय और पुन प्रीप्ति नीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए उत्तरदाई होगा।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(i) "सम्यक तारीख" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में दिया गया है;

(ii) "अधिसूचित देश", "विनिर्दिष्ट खाता" और "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" का अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम की धारा 89क के स्पष्टीकरण में दिया गया है;

(iii) "सुसंगत पूर्व वर्ष" से उस पूर्व वर्ष से होगा जिसके दौरान विनिर्दिष्ट व्यक्ति पूर्व वर्ष के बाद अनिवासी हो जाता है जिसके संबंध में उप-नियम (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया है"।

3. मूल नियमों में परिशिष्ट-II में, प्ररूप संख्या 10 ङ के पश्चात निम्नलिखित प्रपत्र अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप संख्या 10-ङङ"

[नियम 21ककक का उप-नियम (1) देखें]

क्र.सं.		
1.	विनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम	:
2.	विनिर्दिष्ट व्यक्ति का पैन	:
3.	विनिर्दिष्ट व्यक्ति का पता	:
4.	पूर्व वर्ष जिसके संबंध में विकल्प का प्रयोग किया जा रहा है	: वववव वववव
5.	**विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा बनाए गए सभी विनिर्दिष्ट खातों का विवरण**	

क्र.सं.	खाता संख्या	सेवानिवृत्ति निधि का नाम	अधिसूचित देश का नाम <ड्रॉप डाउन से चुनें>	पूर्व वर्ष से पहले वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन की शेष राशि जिसके लिए यह प्ररूप भरा जा रहा है	वर्ष जिसमें खाता खोला गया<दिदि.मामा.वववव>
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)

विनिर्दिष्ट करें कि अधिसूचित देश में विनिर्दिष्ट खाते से आय कैसे कर योग्य है ($) <सुसंगत कोड चुनें>	पिछले वर्ष को विनिर्दिष्ट करें जिसमें विनिर्दिष्ट खाते से आय आहरण के योग्य है (वववव - वववव)	आय की प्रकृति ($$) <सुसंगत कोड चुनें>	विनिर्दिष्ट खाते से आय की राशि जो पहले से ही किसी पिछले वर्ष की आय में सम्मिलित की जा चुकी है, जिसके दौरान उप-नियम (2) के खंड (क) में संदर्भित ऐसी आय अर्जित की गई है। (रुपए में)
(vii)	(viii)	(ix)	(x)

पिछले वर्ष या वर्षों को	विनिर्दिष्ट खाते से आय की	पिछले वर्ष या वर्षों को	क्या स्तंभ (xii) में

	विनिर्दिष्ट करें जिसमें स्तंभ (x) में निर्दिष्टराशि को सम्मिलित किया गया है (वववव - ववववव)	राशि जो नियम 21ककक के उप-नियम (2) (रुपए में) के निर्दिष्ट खंड (ख) के कारण भारत में कर योग्य नहीं थी	विनिर्दिष्ट करें जिसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति के "अनिवासी" या "सामान्य रूप से निवासी नहीं" होने के कारण स्तंभ (xii) में विनिर्दिष्ट राशि छूट है। (ववववव - ववववव)	निर्दिष्ट पिछले वर्ष की आय की विवरणी भारत में प्रस्तुत की गई थी? हाँ नही (यदि हां, तो कृपया पावती संख्या उद्धृत करें)
	(xi)	(xii)	(xiii)	(xiv)

6.	प्रयोग किए जा रहे विकल्प के ब्यौरे—	
	पैरा 5 में यथाविनिर्दिष्ट, विनिर्दिष्ट लेखाओं में अर्जित आय, उस पूर्ववर्ष के लिए कुल आय में सम्मिलित की जाएगी, जिसमें उक्त विनिर्दिष्ट लेखा से आय प्रत्याहरण या मोचन के समय पर अधिसूचित देश में कर लगाया गया है या कर योग्य किया गया है।	: हां/नहीं

घोषणा

मैं ………………………………………..………………………. (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम), सुपुत्र/सुपुत्री/धर्मपत्नी श्री ………………………………………..………………………. यह घोषणा करता हूं कि ऊपर प्ररूप में जो भी कथन किया गया है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं यह और घोषणा करता हूं कि मैं यह घोषणा करने और कथन प्रस्तुत करने में सक्षम हूं।

2. मैं घोषणा करता हूं कि मैंने पैरा 5 में उल्लिखित सभी विनिर्दिष्ट लेखाओं के लिए पैरा 6 के अनुसार विकल्प का प्रयोग किया है।

3. मैं समझता हूं कि उपरोक्त विकल्प, किसी पूर्ववर्ष के लिए एक बार प्रयोग किया जाने पर,जिस पश्चातवर्ती पूर्व वर्ष के लिए विकल्प प्रयोग किया गया है, उस पूववर्ष और उसके पश्चात् पूववर्ष के लिए वापस नहीं लिया जाएगा।

स्थान :

तारीख :

भवदीय

नाम ……….. ……….. ………..

पता ……….. ……….. ……………

टिप्पण :—

(i) पैरा 4 में यथाविनिर्दिष्ट, पूर्ववर्ष के संबंध में एक बार प्रयोग किया गया विकल्प, नियम 21ककक के उपनियम (6) के अधीन सभी पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा |

(ii) ($) पैरा 5 में स्तंभ (vii) के लिए निम्नलिखित संकेत का चयन करें :—

संकेत	
1.	उपार्जित आधार
2.	प्राप्ति आधार

3	कोई अन्य आधार, विनिर्दिष्ट करें

(iii) ($$) पैरा 5 में स्तंभ (ix) के लिए निम्नलिखित संकेत का चयन करें :

संकेत	
1.	वेतन
2.	ब्याज
3.	लाभांश
4.	अन्य, विनिर्दिष्ट करें

(iv) कृपया साक्ष्य के रूप में विनिर्दिष्ट लेखा के कथन की प्रति संलग्न करें,--

(क) सभी विनिर्दिष्ट लेखाओं की लेखा संख्या;

(ख) अधिसूचित देश, जिसमें ऐसा लेखा खोला गया है; और

(ग) उस पूर्ववर्ष से, जिसमें विद्यमान प्ररूप 10ङङ प्रस्तुत किया गया है, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को विनिर्दिष्ट लेखा में अतिशेष ।

(v) कृपया यह दर्शाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें कि विनिर्दिष्ट लेखा से आय पर अधिसूचित देश में कैसे कर लगाया गया है या आय कैसे कर योग्य है (अधिसूचित देश के सुसंगत कानूनी उपबंध या कोई अन्य सुसंगत दस्तावेज संलग्न किए जा सकते हैं) ।

(vi) कृपया सभी पूर्ववर्षों के लिए आय की संगणना संलग्न करें [पैरा 5 के स्तंभ (x) के अनुसार] जिसमें विनिर्दिष्ट लेखा से आय कुल आय में पहले से ही सम्मिलित की गई है । संगणना का उक्त पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी के साथ समाधान किया जाएगा । प्ररूप के साथ आय की संगणना का समाधान विवरण [पैरा 5 के स्तंभ (x) के अनुसार] प्रस्तुत करना है ।

[अधिसूचना संख्यांक 24/2022/ फा. सं. 370142/7/2022-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969, तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 252 तारीख 1 अप्रैल 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2022

G.S.R. 256(E).— In exercise of the powers conferred by section 89A read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules,1962, namely:—

1. Short title and commencement:- (1) These rules may be called the Income-tax (6th Amendment), Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereafter referred to as the principal rules), after rule 21AA, the following rules shall be inserted, namely:—

"**21AAA. Taxation of income from retirement benefit account maintained in a notified country** – (1) Where a specified person has income accrued in a specified account or accounts, during a previous year relevant to any assessment year beginning on or after the 1st day of April, 2022, such income shall, at the option of the specified person, be included in his total income of the previous year relevant to the assessment year in which income from the said specified account or accounts is taxed at the time of withdrawal or redemption, as the case may be, in the notified country.

(2) Where the option has been exercised by a specified person under sub-rule (1), the total income of the specified person for the previous year in which income is taxable under sub-rule (1) shall not include the income which,—

(a) has already been included in the total income of such specified person in any of the earlier previous years during which such income accrued and tax thereon has been paid in accordance with the provisions of the Act; or

(b) was not taxable in India, in the previous year during which such income accrued, on account of,—

(i) such specified person being a non-resident, or not ordinarily resident referred to in clause (6) of section 6, during that previous year; or

(ii) application of the Double Taxation Avoidance Agreement, if any,

and the foreign tax paid on such income, if any, shall be ignored for the purposes of computation of the foreign tax credit under rule 128.

(3) The option under sub-rule (1) shall be exercised by the specified person in respect of all the specified accounts maintained by the specified person.

(4) In a case where the specified person becomes a non-resident during any relevant previous year, then-

(i) the option exercised under sub-rule (1) shall be deemed to have never been exercised with effect from the relevant previous year; and

(ii) the income which has accrued in the specified account or accounts during the period, beginning with the previous year in respect of which the option under sub-rule (1) was exercised and ending with the previous year immediately preceding the relevant previous year, shall be taxable during the previous year immediately preceding the relevant previous year and tax shall be paid on or before the due date for furnishing the return of income for the relevant previous year.

(5) The option to be exercised under sub-rule (1) by the specified person, for any previous year relevant to the assessment year beginning on or after the 1st day of April, 2022, shall be in Form No. 10-EE and it shall be furnished electronically under digital signature or electronic verification code on or before the due date specified under sub-section (1) of section 139 of the Act, for furnishing the return of income.

(6) Subject to the provisions of sub-rule (4), the option once exercised for a specified account or accounts in respect of a previous year under sub-rule (1) in Form No. 10- EE shall apply to all subsequent previous years and cannot be subsequently withdrawn for the previous year for which the option was exercised or any previous year subsequent to that previous year.

(7) The Principal Director-General of Income-tax (Systems) or Director-General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall specify the procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data and shall be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in respect of Form No. 10-EE.

Explanation.— For the purposes of this rule,-

(i) "due date" shall have the meaning assigned to it in Explanation 2 to sub-section (1) of section 139 of the Act;

(ii) "notified country", "specified account" and "specified person" shall have the meaning assigned to them in the Explanation to section 89A of the Act;

(iii) "relevant previous year" shall mean the previous year during which the specified person becomes non-resident subsequent to the previous year in respect of which option under sub-rule (1) has been exercised.".

3. In the principal rules, in the Appendix-II, after Form No. 10E, the following form shall be inserted, namely :-

"FORM No. 10-EE

[*See sub-rule (1) of rule* 21AAA]

S. No.		
1.	Name of the specified person	:
2.	PAN of specified person	:
3.	Address of specified person	:
4.	Previous year in respect of which option is being exercised	: yyyy - yyyy
5.	**Details of all the specified accounts maintained by the specified person**	

S.No.	Account number	Name of Retirement Fund	Name of notified Country < select from drop down>	Balance as on last day of the financial year prior to the previous year for which this Form is being filled	Year in which account opened <dd.mm.yyyy>
	| | | | | | | | | | |				
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)

Specify how the income from specified account is taxable in the notified country ($) < Select relevant code>	Specify the previous year in which the income from specified account is eligible to be withdrawn (yyyy-yyyy)	Nature of Income ($$) < Select relevant code>	Amount of income from the specified account which has already been included in the income of any earlier previous year during which such income accrued as referred to in -clause (a) of sub-rule (2). (in Rs)

(vii)	(viii)	(ix)	(x)

Specify the previous year or years in which amount referred to in column (x) has been included (yyyy-yyyy)	Amount of Income from the specified account which was not taxable in India due to reasons referred in clause (b) of sub-rule (2) of rule 21AAA (in Rs)	Specify the previous year or years in which amount referred to in column (xii) is exempt on account of the specified person being "non-resident" or "not ordinarily resident" (yyyy-yyyy)	Whether return of income for the previous year referred to in column (xii) was furnished in India? Yes/No (If yes, please quote acknowledgement numer)
(xi)	(xii)	(xiii)	(xiv)

6. Details of option being exercised —

The income accrued in specified accounts as specified in paragraph 5, shall be included in the total income for the previous year relevant to the assessment year in which income from the said specified account has been taxed or taxable in the notified country at the time of withdrawal or redemption	: Yes/No

Declaration

I, ________________________________ (Name in full and in block letters) son/daughter/wife of ________________________ do hereby declare that to the best of my knowledge and belief what is stated in the form above is correct and complete. I further declare that I am competent to make this declaration and furnish this statement.

2. I hereby declare that I have exercised the option as per paragraph 6 for all the specified accounts mentioned in paragraph 5.

3. I understand that the above option, once exercised for any previous year, cannot be subsequently withdrawn for the previous year for which option is exercised or any previous year subsequent to that previous year.

Place:

Date:

Yours faithfully,

Name……………………………………

Address…………………………………

Note :—

(i) Option once exercised in respect of a previous year, as specified in paragraph 4, shall be applicable to all subsequent years, under sub-rule (6) of rule 21AAA.

(ii) ($) For column (vii) in paragraph 5, select the following codes:—

Code	
1	Accrual basis
2	Receipt basis
3	Any other basis, specify

(iii) ($$) For column (ix) in paragraph 5 select the following codes:

Code	
1	Salary
2	Interest
3	Dividend
4.	Others, specify

(iv) Please attach a copy of statement of the specified account as an evidence of,-

(a) the account number of all the specified accounts;

(b) the notified country in which such account has been opened; and

(c) the balance in the specified account as on last date of the financial year prior to the previous year in which the present Form 10-EE is submitted.

(v) Please attach documentary evidence to show how the income from specified account has been taxed or is taxable in the notified country (relevant statutory provision of the notified country or any other relevant document may be attached).

(vi) Please attach the computation of income for all the previous years [as per column (x) of paragraph 5] in which the income from specified account has already been included in the total income. The computation has to be reconciled with the return of income for the said previous years. A reconciliation statement of the computation of income [as per column (x) of paragraph 5] has to be furnished along with the Form.".

[Notification No. 24/2022 [F. No. 370142/7/2022-TPL]

NEHA SAHAY, Under Secy.

Note:- Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 969, dated the 26th March, 1962 and was last amended *vide* notification number G.S.R 252 dated 1st April, 2022

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.04.04 16:37:16 +05'30'